

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,  
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेया में,

जिलाधिकारी,  
लखनऊ।  
राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 15 जनवरी, 2014

विषय वर्ष 2013-14 में ओलावृष्टि के पूरक यथा अत्यधित ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-209/सी0आर0ए0/आपदा/शीतलहरी/13-14, दिनांक 24.12.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्ष 2013-14 में ओलावृष्टि के पूरक यथा अत्यधित ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन हेतु शासनादेश संख्या-4024/1-10-2010-14(63)/2010, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 में दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश में शीतलहरी के पूरक ओलावृष्टि, अत्यधित ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकार से एम0एच0ए0 पत्र संख्या-32-3/2013-एन0डी0एम0-1, दिनांक 21 जून, 2013 द्वारा जारी भारत सरकार की गाइड लाइन के आईटम नं0-3 के प्राविधान Provision for Temporary Accommodation, food, clothing medical care etc. for people affected evacuated, sheltered in relief camps के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव एवं कम्बल आदि के क्रम हेतु आपके द्वारा मांग की गयी ₹ 0 15,00,000/- (रुपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(2) उक्त स्वीकृति के कलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्बल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहरी से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सी0आर0एफ0 गाइड लाइन के अनुरूप यथोचित कार्यवाही की जाए इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अत्यधिक ठण्ड एवं

शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के अभाव में न हो।

(4) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1419/18-2-2013-12(एस0पी0)/2010, दिनांक 01 नवम्बर, 2013 जो कि सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपकरणों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वयंत्रशासी संस्थाओं (जिन्हें आगे केता एजेन्सी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि�0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रानोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रगाणित संस्थाओं, श्री गौंधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्य अनिवार्यता के सम्बन्ध में है, में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल आदि का क्य किया जायेगा।

(5) क्य किये जाने वाले कम्बलों की पूर्व निर्धारित दर रु0 500 से अधिक न हो तथा मानक लम्बाई कम से कम 235 रोमी0, चौड़ाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

(6) आपूर्तित संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिकी योग्य नहीं है।

(7) निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठंड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाये जरूरतमन्द व्यक्तियों को समय से निःशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराना जाना सुनिश्चित कराया जाए ताकि अत्यधिक ठंड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु यह सुविधा उन्हें प्राप्त हो सके।

(8) निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के घिन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेशन/विधवा पेशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाय। विधवा पेशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्पसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र में मालिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्र के पिछडे मजरो में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध व बीमार पुरुष/महिला को प्राथमिकता दी जाय। उपरोक्त के कम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को क्य किये गए कम्बलों आदि को कैम्प लगाकर वितरित करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि लगभग प्रत्येक ग्रामों में निर्धनतम व्यक्तियों को कम्बल अवश्य वितरित हो जाए। उपरोक्त के कम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को घिन्हीकरण एक सप्ताह में कर लिया जाय तथा व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाय।

४(के)-लाभार्थियों का विवरण जनपद स्तर पर रखा जाय तथा उसे जनपद की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।


४(ख)-क्य किये गये कम्बलों आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जाय।

(9) अलाव जलाने पर व्यय हुई धनराशि एवं अन्य मदों पर व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र अलाव के जलाने के रथल, दिन की संख्या, लकड़ी/कम्बल आदि के क्य की रसीद, कुल व्यय सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) उक्त धनराशि का व्यय शा०प०स०-७८/पी०ए०स०आ००/२०१२, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं 2785/1-10-2011-12(73)/2008 दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 05 जुलाई, 2013 जिसके साथ भारत सरकार का पत्र दिनांक 21 जून, 2013 संलग्न किया गया है में अर्ह मानक मदों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(11) आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-११, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोर्चक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-य०ओ०-२/१-११-२०१३-रा०-११, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समाप्त/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(12) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-५ भाग-१ के प्रस्तर-३६९ एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-४२ आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,  
  
(किशन सिंह अटोरिया)  
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- १८ (१)/१-१०-२०१३, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, ३०प्र० इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त, लखनऊ भण्डल लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ३०प्र० लखनऊ।

- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. य००पी०.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 7- वित्त व्यव नियंत्रण अनुभाग-५
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-१०/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थी।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन ।
- 10- गार्ड फाइल ।

आजा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)

उप सचिव।